न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
35 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	10.05.2017	05.05.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 11, सुभाष कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक राज.
2—मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26की उप धारा (2) (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार उप.।
2—अप्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार जैन।

:—निर्णय—: **दिनांक 05.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.01.2017 को समय 01:01 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन उपस्थित थे, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर स्वयं को मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक का मालिक बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र के बारे में पूछने पर आवेदक के समक्ष प्रस्तुत किया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, शक्कर, घी, दाल व तेल विभिन्न ब्राण्ड अन्य खाद्य पदार्थों के साथ खाद्य पदार्थ **सुपारी प्रोसेस्ड मेरी स्वीट् सुपारी सुपर ब्रॉड पॉली पैक (Betul Nut Processed Maric Sweet supari Super Brand Poly Pack)** 140—140 ग्राम के 200 पैकेट दुकान में विक्रय हेतु उपलब्ध थे, जिसे देखने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता को फार्म नं. 5 ए पर **प्रोसेस्ड मेरी स्वीट् सुपारी सुपर ब्रॉड पॉली पैक (Betul Nut Processed Maric Sweet supari Super Brand Poly Pack)** नमुना विश्लेषणार्थ हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुए **प्रोसेस्ड मेरी स्वीट् सुपारी सुपर ब्रॉड पॉली पैक (Betul Nut Processed Maric Sweet supari Super Brand Poly Pack)** के दुकान की रैक में रखे 200 नग में से 140—140 ग्राम के 16 पैकेट (पाउच) **प्रोसेस्ड मेरी स्वीट्**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

सुपारी सुपर ब्रॉड पॉली पैक **(Betul Nut Processed Maric Sweet supari Super Brand Poly Pack)** साफ प्रिन्टेड पॉली पैक का चयन कर बॉट मापक से तुलवाकर क्रय किया जिसकी कीमत विक्रेता श्री राजेन्द्र कुमार जैन को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **प्रोसेस्ड मेरी स्वीट् सुपारी सुपर ब्रॉड पॉली पैक (Betul Nut Processed Maric Sweet supari Super Brand Poly Pack)** 140–140 ग्राम के 16 नग पॉली पैक को नियमानुसार बराबर–बराबर 560–560 ग्राम तुलवाकर सूखे व साफ चौकोर डिब्बों में भरा एवं डिब्बों के ढक्कन को एयरटाइट बंद किया। खरीदशुदा चार नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1519 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1519 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज. से **प्रोसेस्ड मेरी स्वीट् सुपारी सुपर ब्रॉड पॉली पैक (Betul Nut Processed Maric Sweet supari Super Brand Poly Pack)** वास्ते विश्लेषणार्थ क्रय किया तब मौके पर अन्य फर्म से क्रय करने का मूल वारंटी बिल मांगा गया तो श्री राजेन्द्र कुमार जैन ने मौके पर बतौर वारंटी बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज. द्वारा मौके पर **प्रोसेस्ड मेरी स्वीट् सुपारी सुपर ब्रॉड पॉली पैक (Betul Nut Processed Maric Sweet supari Super Brand Poly Pack)** का वारंटी बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त खाद्य पदार्थ का वारन्टी/खरीद बिल मंगवाने बाबत पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में कोई वारंटी बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2017/712 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/30/एक्ट/. 2017/34 दिनांक 10.02.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कय किया गया **प्रोसेस्ड मेरी स्वीट् सुपारी सुपर ब्रॉड पॉली पैक (Betul Nut Processed Maric Sweet supari Super Brand Poly Pack)** **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **प्रोसेस्ड मेरी स्वीट् सुपारी सुपर ब्रॉड पॉली पैक (Betul Nut Processed Maric Sweet supari Super Brand Poly Pack)** विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की दण्डनीय धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुआ एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **प्रोसेस्ड मेरी स्वीट् सुपारी सुपर ब्रॉड पॉली पैक (Betul Nut Processed Maric Sweet supari Super Brand Poly Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **प्रोसेस्ड मेरी स्वीट् सुपारी सुपर ब्रॉड पॉली पैक(Betul Nut Processed Maric Sweet supari Super Brand Poly Pack)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 धारा 26 की उप धारा 2(ii) तथा धारा 51 के अन्तर्गत अपराध व जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 11, सुभाष कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक राज. पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 05.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0